न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	28.06.2017	24.02.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री तारा चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स कमल टी ट्रैडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स कमल टी ट्रैडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2– अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 24.02.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2017 को समय 2.22 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कमल टी ट्रैडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री तारा चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स कमल टी ट्रैडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack)** जिसके लोट / बैच नं0 पी.एन.12[illegible] दिसम्बर 2016 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका [illegible] विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में [illegible] नमूना क्रय [illegible] हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश कुमार जैन [illegible] गवाह के हस्ताक्षर [illegible] प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे एक प्लास्टिक कट्टे मे 165–165 ग्राम के 70 पाउच मूल पैक **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack)** रखे हुये मे से 165–165 ग्राम के 16 पाउच ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश कुमार जैन को रू0 1920/–अक्षरे एक हजार नौ सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक** (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack) खरीदशुद्वा 165–165 ग्राम के 16 पाउच कुल मात्रा 2640 ग्राम को 4–4 पाउच का एक भाग बनाकर कुल मात्रा 660–660 ग्राम के पाउचो को बराबर–बराबर (एक भाग 660 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1518 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1518 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2017/711 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/29/एक्ट/2017/33 दिनांक 10.02.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 अनुसार राकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक** (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(i)(ii) के अनुसार **असुरक्षित** (Unsafe),मिथ्याछाप(Misbranded) एंव **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर [illegible]

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक** (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला दिलबाग रॉयल मूल पैक (Pan Masala Dil Bag Royal Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री तारा चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स कमल टी ट्रैडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

24-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:17 IST
Reason: SelfAttested